



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1402/79-वि-1-16-1(क)25-2016

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने बनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

बनेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत “लाभरहित” कम्पनी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश स्थित जिला गौतमबुद्धनगर में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम बनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 अगस्त, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषाएं

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

- (क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;
- (ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;
- (ग) "कुलाधिपति", "प्रति-कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः "कुलाधिपति", "प्रति-कुलाधिपति", "कुलपति", "प्रति-कुलपति" से है;
- (घ) "कम्पनी" का तात्पर्य बनेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत "लाभरहित" कम्पनी है;
- (ङ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;
- (च) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;
- (छ) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;
- (ज) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;
- (झ) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;
- (ञ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;
- (ट) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;
- (ड) "संस्था/महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;
- (ढ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (ण) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;
- (त) "विनियामक निकाय" का तात्पर्य समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टेंस एजुकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजुकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;
- (थ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;
- (द) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;
- (ध) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;
- (न) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;
- (प) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित बनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से है।

- 3-(1) कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में बनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना
- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।
- 4-कम्पनी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

- (क) रुपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगी;
- (ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगी;
- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;
- (घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां कय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें [उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनबद्ध होगी;
- (ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह-आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगी;
- (च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का कय करेगी तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगी;
- (छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल-कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्ध होगी;
- (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करेगी;
- (झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगी;
- (ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अध्यादेश एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;
- (ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को "पब्लिक डोमेन" में रखेगी;
- (ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगी;
- (ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का
आरम्भ

5—(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए कम्पनी को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, कम्पनी से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के
उद्देश्य

6—विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :—

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति ;

(ग) अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन की व्यवस्था ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

विश्वविद्यालय की
शक्तियाँ

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, जिसका निर्वहन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्:—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मसी, प्रबन्ध, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्ध, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय-समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर व उपग्रह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिटस के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए कम्पनी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अम्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानदि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

8-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रवेश और
शैक्षणिक
मानक

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यू०जी०सी०/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9-विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य;

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11-(1) कम्पनी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति कम्पनी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12-(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति कम्पनी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सम्पादन करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

13-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

14-(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

15-निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

16-(1) कुल-सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल-सचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

17-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

18-कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

19-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20-छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

- (क) सभा;
- (ख) कार्यपरिषद्;
- (ग) विद्या परिषद्;
- (घ) वित्त समिति;
- (ङ) नियोजन बोर्ड;
- (च) संकाय बोर्ड;
- (छ) प्रवेश समिति
- (ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22-(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्यक्षों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्यपरिषद्

23-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्यपरिषद् का सदस्य होगा।

विद्या परिषद्

24-(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25-(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26-(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

27-संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

28-(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनिियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनिियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनिियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद की जानकारी में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखी जायेंगी।

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं होगा।

33—(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद, कुलाध्यापक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

34—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी वीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाये।

35—यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

36—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

37—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

वार्षिक लेखा

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

अपील करने का अधिकार

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

समितियों का गठन

रिक्तियों का भरा जाना

कार्यवाही की अविधि मान्यता	38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति,	39-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।
परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन	40-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।
स्थायी विन्यास निधि	41-(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा। (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी। (3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है। (4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।
सामान्य निधि	42-(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :- (क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय; (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि; (ग) कम्पनी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान। (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।
विकास निधि	43-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :- (क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है; (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि; (ग) कम्पनी द्वारा किये गये सभी अंशदान; (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय। (2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
निधि का अनुसूक्षण	44-धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।
वित्तीय शर्तें	45-विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

46-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखा जायेगा। शुल्क

47-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय। सूचना और अभिलेखों की मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

48-(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा। विश्वविद्यालय का विघटन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

49-(1) धारा 48 से अधीन विश्वविद्यालय का दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा। विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

50-(1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम-दृष्ट्या उल्लंघन का मामला बनता है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन / मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ / उत्तरदायित्व की प्राप्ति

52—अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व कम्पनी से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

54—(1) बनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2016

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रतिक्रियाकारी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता के लिये निजी क्षेत्र में लोकोपकारी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहित करने और उच्च गुणवत्ता वाले संकाय तथा छात्रों को आकर्षित करने हेतु प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और निरंतर गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत "लाभरहित" कम्पनी, बेनेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के नाम से एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है ताकि छात्रों और अध्यापकों को नवपरिवर्तन और समग्र व्यक्तित्व विकास के उन्नयन के लिये समुचित पाठ्यक्रम संरचना तथा शिक्षण और ज्ञानार्जन की नयी पद्धतियों के माध्यम से आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, इसलिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2016 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2016) का प्रख्यापन किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1402(2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-25-2016

Dated Lucknow, September 16, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bennett Vishwavidyalaya, Greater Noida, Uttar Pradesh Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 14, 2016.

THE BENNETT UNIVERSITY, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH ACT, 2016

(U.P. Act no. 24 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to establish and incorporate a teaching University in district Gautambudh Nagar of Uttar Pradesh sponsored by Bennett Institute of Higher Education 'a not for profit' Company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 at Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh Act, 2016. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on August 7, 2016.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;
- (c) "Chancellor", "Pro-Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the "Chancellor", the "Pro-Chancellor" the "Vice-Chancellor" the "Pro-Vice-Chancellor" of the University;
- (d) "Company" means Bennett Institute of Higher Education 'a not for profit' company registered under the Companies Act, 2013 .
- (e) "Court" means the Court of the University;
- (f) "Director/Principal" means the Head of an "Institution", a College, Centre and School, or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;
- (g) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research.
- (h) "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the staff of the University.
- (i) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
- (j) "Existing College" means a college or an institution which imparts professional education and is proposed to be merged, run and maintained by the University;
- (k) "Faculty" means a Faculty of the University;
- (l) "Hostel" means Scholar/Students Hostel of the University;
- (m) "Institution/College" means a college including existing college or an institution established or maintained by or associated to or constituent of the University in accordance with this Act and the Statutes.
- (n) "Prescribed" means prescribed by Statutes;
- (o) "Records and Publications" means records and publications of the University;
- (p) "Regulatory Body" means the statutory bodies established by the Central Government from time to time such as University Grants Commission and includes the All India Council for Technical Education, the Bar Council of India, the Distance Education Council, the Dental Council of India, the Indian Nursing Council, the Medical Council of India, the National Council for Teacher Education, Central Council for Indian Medicine, the Pharmacy Council of India.
- (q) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and the Ordinances of the University for the time being in force;
- (r) "Student" means a student enrolled in the register of the University;
- (s) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and such other persons as may be appointed for imparting education instructions, or conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;

(t) "Treasurer", "Registrar", "Deputy Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" or, "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examinations, the Librarian or the Proctor of the University;

(u) "University" means the Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh established under section 3.

3. (1) There shall be established in district Gautambudh Nagar of Uttar Pradesh by the Company a University in the name of the Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh.

Establishment of the University

(2) The University shall be a body corporate.

4. The sponsoring body, the Company shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely:-

Conditions for the establishment of the University

(a) create a Permanent Endowment fund with minimum of Rs. 10 (ten) crore;

(b) duly possess minimum 40 acres contiguous land earmarked for the University;

(c) construct on land referred to in clause (b) buildings of at least 24000 sq. metres carpet area, out of which at least 50 percent shall be utilized for academic and administrative purposes;

(d) install equipments, computers, furniture, assets, infrastructural facilities (other than building mentioned in [c] above) and other consumables and non consumables of minimum Rs. 1 (one) crore in offices and laboratories in the building referred to in clause (c); and an undertaking of procuring the computers, furniture, assets, infrastructural facilities (other than building mentioned in [c] above) and other consumables and non consumables of minimum four crore rupees in the next 5 years;

(e) appoint at least one Professor, two Associate Professors and sufficient number of Assistant Professors and supporting staff members in every department or discipline;

(f) purchase books and periodicals worth Rs. ten lakh in the library and also undertake to invest Rs. fifty lakh for the books, periodicals, computer library networking and other library facilities in the first three years;

(g) undertake to arrange the co-curricular activities, extracurricular activities, debate, competitions, quiz programmes, sports, NSS and NCC for the students as per the standards of regulatory bodies;

(h) standards and conditions set by UGC, AICTE, NCTE, BCI and other regulatory bodies established by the State or Central Governments are to be satisfied;

(i) undertake to establish the provident fund for the employees of the University and to introduce other welfare schemes;

(j) make the Statutes and the Ordinances for the administration and functioning of the University;

(k) any arrangements made by the University shall not differ from the provisions of this Act and regulations of the University Grants Commission and other regulatory bodies.

(l) to ensure transparent functioning of the University and put the clearances obtained from the Regulatory Bodies in the public domain;

Starting of the
University

(m) furnish information to the State Government in the prescribed format as per periodicity determined by the State Government;

(n) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

5. (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Company a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.

(2) The State Government shall issue the letter of authorization after receipt of an unambiguous affidavit along with documents from the Company to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

Objects of the
University

6. The objects of the University shall be to disseminate and advancement of knowledge and skill for providing instructional, research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:-

(a) innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;

(b) studies in various disciplines;

(c) interdisciplinary studies;

(d) national integration, secularism, social equity and inculcation of international understanding and ethics.

Powers of the
University

7. The University shall have the following powers, which it will exercise as per guidelines and norms as prescribed by UGC and State Government from time to time, namely:-

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to impart and promote the study of Science, Engineering and Technology, Architecture, Biomedical Sciences, Medical Sciences, Dental Sciences, other various Sciences not specifically mentioned, Nursing, Rehabilitation, Ayurveda, Unani, Homeopathy, Naturopathy, Siddha, Veterinary Sciences, Agriculture, Pharmacy, Management, Hotel and Hospitality Management, Law and other Professional courses and also History, Religions, Culture, Commerce, Economics, Humanities, Philosophy, Languages, Education, Journalism, Social Sciences, Music, Art, Physical Education etc. or any other subject as decided by Academic Council from time to time through in-campus, off-campus, offshore-campus and satellite centres or by conducting centres or by distant educational programmes etc. as decided by the academic council from time to time;

(c) to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with decoration of professor Emeritus;

(d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing of persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other distinctions in such manner as may be prescribed;

(f) to provide education and training including correspondence and such other courses, to such persons as are not members of the University, as it may determine;

(g) to institute as per UGC norms and State Government regulations Directorships, Principal-ships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;

(h) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(i) to appoint/engage persons of eminence, working in any other University or organization permanently or for a specified period;

(j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the University may determine;

(k) to establish and maintain schools, centres, specialized laboratories in other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) to establish and maintain and supervise residences, hostels within the University and promote the health and general welfare activities for students and staff;

(n) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(o) to declare a centre, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the Statutes;

(p) to determine standards in accordance with UGC norms/State norms for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing to ensure quality;

- (q) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (r) to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;
- (s) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regards as may be deemed necessary by the University;
- (t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- (u) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable for the welfare of the University;
- (v) to borrow, mortgage with the approval of the Company on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (w) to appoint either on contract or otherwise, visiting professors emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (x) to organize and to undertake extramural studies and extension service; and
- (y) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Admission and
Standards

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws and University Grants Commission norms for quality for the time being in force.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other statutory bodies as the case may be.

(3) The teacher student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and specific Councils.

(4) Academic performance of the University with respect to standards set by the UGC/State Government/other Regulatory Bodies shall be periodically reviewed by a Committee of Academic Experts constituted by the Chancellor consisting of one Chairman and four members including two members as nominees of the State Government.

(5) The Chairman and other four expert members shall be from academic field not below the rank of Professor and from one of the specialization being run in the University. The report of the Committee shall be submitted to the State Government by the Chancellor and discussed in the Court of the University for further, necessary actions. A copy of the report along with the actions taken by the University shall be sent to the UGC and State Government and also displayed in the public domain.

9. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt to impose on any person any test whatsoever of his religious belief profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat :

University open to all classes and creeds

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens shall be regulated by the order of the State Government issued from time to time.

10. The following shall be the officers of the University:-

Officers of the University

- (a) the Chancellor,
- (b) the Pro-Chancellor,
- (c) the Vice-Chancellor,
- (d) the Pro-Vice-Chancellor,
- (e) the Director/Principal,
- (f) the Registrar,
- (g) the Dean of Faculty,
- (h) the Dean of Students' Welfare,
- (i) the Controller of Examinations,
- (j) the Chief Proctor,
- (k) the Treasurer,
- (l) the Finance Officer, and
- (m) such other officers as may be declared by the Statutes to be Officers of the University.

11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Management Committee of the Company for a period of three years.

The Chancellor

(2) The Chancellor shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.

(3) The Chancellor may by writing under his hand addressed to the Company resign from his office.

12. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Management Committee of the Company for a period of three years.

The Pro-Chancellor

(2) The Pro-Chancellor shall assist the Chancellor in discharging his duties and preside at the convocation in his absence.

(3) The Pro-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chancellor resign from his office.

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of three years.

The Vice-Chancellor

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Academic Council and Planning Board of the University, and shall exercise general, supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters:

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section may prefer an appeal to the Chancellor within thirty days from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse such action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro-Vice-Chancellor

14. (1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Company.

Director/
Principal

15. The Director/Principal shall be appointed, in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Registrar

16. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

Dean of faculty

17. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Treasurer

18. The Treasurer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

19. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of Finance Committee.

Other Officers

20. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University including the Dean of Students' Welfare, Controller of Examinations and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

21. The following shall be Authorities of the University:-	Authorities of the University
(a) the Court, (b) the Executive Council , (c) the Academic Council, (d) the Finance Committee , (e) the Planning Board, (f) the Board of Faculties, (g) the Admissions Committee, (h) the Examinations Committee, and (i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.	
22. (1) The Constitution of the Court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.	The Court
(2) Subject to provisions of this Act the Court shall have the following powers and functions, namely:-	
(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;	
(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;	
(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;	
(d) to perform such other functions as may be prescribed.	
23. (1) The Executive Council shall be the Principal Executive body of the University.	The Executive Council
(2) The Constitution of the Executive Council, the term of the office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed.	
(3) An officer of Higher Education Department not below the rank of Joint Secretary to the Government shall be the member of the Executive Council.	
24. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.	The Academic Council
(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such, as may be prescribed.	
25. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.	The Finance Committee
(2) The Constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.	
26. (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University. The Planning Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils.	The Planning Board
(2) The Constitution, of the Planning Board, term of office of its members and its power and functions shall be such as may be prescribed.	

Board of
Faculty,
Admission
Committee,
Examination
Committee and
other Authorities
of the University
Power to make
statutes

27. The constitution, powers and functions of the Board of Faculties, the Admissions Committee, the Examination Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed.

28. (1) The Executive Council shall make the statutes for carrying out the purposes of this Act.

(2) Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;

(g) the principles governing seniority of service of employees;

(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or students against the action of any officer or other authority of the University;

(j) the conferment of honorary degrees;

(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;

(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) the maintenance of discipline among the students;

(n) the establishment and abolition of Department, Centers and other constituent institutions / colleges etc;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) all other matters, which are in this Act or may be prescribed.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor may direct the University to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.

29. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following matters, namely:-

Power to make
Acts

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinction, the qualification for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Centre of Studies, Board of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including professional bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic stature of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators; and

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes.

Annual Report

30. (1) The Annual Report to the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) The Court shall submit the Annual Report to the Chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

31. (1) The Annual Accounts and Balance Sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountants of repute.

(2) A copy of the Annual Accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the Executive Council and the observations, if any, shall after review by the Executive Council, be submitted to the Chancellor and shall be put in the public domain.

Conditions of service of employees

32. (1) Every employee of the University shall be appointed/engaged as per provisions of the Statutes.

(2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Vice-Chancellor who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of its reference.

(3) The aggrieved employee may file an appeal against the order of the Vice-Chancellor to the Chancellor.

(4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on *ad-hoc* or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor.

(5) Any person aggrieved by the order of the Vice-Chancellor may prefer an appeal to the Chancellor. The decision of the Chancellor in such an appeal shall be final and no suit shall lie in court in respect of the matters decided by the Chancellor.

Right to Appeal

33. (1) Any student or candidate for an examination, whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council, Proctorial Board or Controller of Examinations as the case may be and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution appeal in writing to reverse the decision to the aforesaid authorities or the concerned Committee, as the case may be.

(2) Any decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

Employees Provident Fund and Pensions

34. The University may constitute for the benefit of its employees such pension or welfare schemes or Provident Fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

35. If, any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereupon shall be final.	Disputes as to the constitution of authorities and bodies
36. Where any authority of the University is given power under this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.	Constitution of Committees
37. All vacancies among the members (other than <i>ex-officio</i>) of any authority or other body of the University shall be filled as soon as may be convenient by the person or body who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become vacant for the remaining term for which he has been appointed or co-opted.	Filling of the vacancies
38. No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.	Invalidity of proceeding
39. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as <i>prima-facie</i> evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original would, if produced have been admissible in evidence.	Mode of proof of University records
40. (1) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be made available in writing.	Publication of Statutes and Act
(2) Each new Statute or Ordinance made under this Act shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.	
41. (1) The Company shall establish a permanent Endowment Fund of at least rupees ten crore as per law and no money shall be withdrawn from the principal amount of this fund without prior permission of the State Government.	Permanent Endowment Fund
(2) The University shall have the power to invest the permanent Endowment Fund in such manner as may be prescribed.	
(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent Endowment Fund.	
(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent Endowment Fund by the University for the purposes of development of the University.	
42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-	General Fund
(a) all fees which may be charged by the University;	
(b) all sums received from any other sources;	
(c) all contributions made by the Company ; and	
(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force.	
(2) The money credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.	
43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely :-	Development Fund
(a) development fees, which may be charged from students;	
(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;	

	(c) all contributions made by the Company;
	(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force; and
	(e) all incomes received from the permanent Endowment Fund.
	(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.
Maintenance of Funds	44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall subject to general supervision and control of the Court be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.
Financial Condition	45. The University shall not be eligible for any grants in aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.
Fees	46. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the time being in force and the fees structure shall be put in public domain.
Power of State Government to call for information and records	47. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finance and other affairs of the University as the State Government may call for. (2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the Act or the Statutes or Ordinances made thereunder may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.
Dissolution of University	48. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government. (2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studies in such manner as may be prescribed.
Expenditure of the University during dissolution	49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 48 shall be met out of the Permanent Endowment Fund, the general fund and the development fund. (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing off the properties or assets of the University by the State Government.
De-recognition of the University by the State Government	50. (1) Where the State Government receives a complaint that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than sixty days, as to why the University should not be de-recognized. (2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that a <i>prima-facie</i> case of mismanagement or violation of the provisions of this Act in the functioning of the University is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary. (3) For the purpose of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into the allegations of violation of the provisions of this Act. (4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits; and
- (e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act, it shall direct the University to make necessary improvement and suggest for proper implementation of the provisions of this Act.

(6) If it is observed that the University is violating the provisions of this Act continuously for three times the State Government may require the University to show cause within such time which shall not be less than two months, as to why the University should not be de-recognized. If, upon receipt of the said reply of the University, the State Government is satisfied that *prima-facie* case of violation of the provisions of this Act, is made out it may de-recognize the University by a notification published in the *Gazette*.

(7) During the period of the management of the University under sub-section (6) the State Government may utilize the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purpose of the management of the affairs of the University, if the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose off the assets or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub-section (6), shall be laid before both Houses of the State Legislature and shall have to be passed by both houses before implementation.

51. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University, failing which the State Government may take a reasoned action against the University.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

52. All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund also the liabilities of the University will belong to the Company in case of dissolution of the University under any provision mentioned herein above in this Act.

Status of Assets/ Liabilities on dissolution / de-recognition

53. (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Ordinance shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient :

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

U.P. Ordinance no. 1 of 2016

54.(1) The Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh Ordinance, 2016 is hereby repealed.

Repeal and Saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the co-responding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging infusion of philanthropic capital in private sector to participate in the field of higher education and encourage competition to attract high quality faculty and students and continuously enhance quality it has been decided make a law to establish and incorporate a teaching University by the name of Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh sponsored by Bennett Institute of Higher Education Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 'a not for profit' Company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities through proper structuring of courses, new methods of teaching and learning for the promotion of innovations and integrated development of personality.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh Ordinance, 2016 (U.P. Ordinance no 1 of 2016) was promulgated by the Governor on August 07, 2016.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 394 राजपत्र (हि०)-19-9-2016-(945)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 88 सा० विधायी-19-9-2016-(946)-300 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/आफसेट)।